खुद को आरटीआई एक्ट से ऊपर मानते हैं निगम के भ्रष्ट अधिकारी

जानकारी मांगने वाले को कर दिया ब्लैक लिस्ट, आरटीआई एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) अवैध विज्ञापन माफिया से गठजोड़ कर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये हजम कर रहे निगम के भ्रष्ट अधिकारी खुद को जन सूचना अधिकार कानून से भी ऊपर समझते हैं। विज्ञापन के नाम पर हो रहे घोटाले की सच्चाई जानने के लिए जानकारी मांगी गई तो इन अधिकारियों ने आरटीआई मांगने वाले दीपक गोदारा को ही ब्लैक लिस्ट करने का लिखित फरमान जारी कर दिया, जबकि आरटीआई एक्ट में ब्लैक लिस्ट या प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। भ्रष्ट अधिकारियों ने उन्हें सीएम विंडो पर भी ब्लैक लिस्ट कर दिया।

गढ़ी मोहल्ला निवासी दीपक गोदारा नगर निगम के विज्ञापन विभाग में संविदा पर कार्यरत थे। पद पर रहते उन्होंने विज्ञापन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो दो साल पहले अचानक उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। दीपक के अनुसार अवैध विज्ञापन माफिया से गठजोड़ कर अधिकारी निगम को प्रतिवर्ष करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह धन विज्ञापन माफिया और अधिकारी मिल-बांट कर हजम कर रहे हैं।

इस घोटाले को उजागर करने के लिए उन्होंने सितंबर 2021 में आरटीआई लगाकर

जितेन्द्र दहिया, आयुक्त नगर निगम

विज्ञापन के लिए टेंडर प्रक्रिया, होने वाली आय, ठेकेदार आदि की जानकारी मांगी थी। उन्होंने सीएम विंडो पर तत्कालीन ईएक्सईएन पदमभूषण की डिग्री फर्जी होने की शिकायत कर जांच कराने की भी मांग की थी। इन दोनों ही मामलों में उन्हें जवाब नहीं दिया गया। मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा तो निगम अधिकारियों ने जवाब दिया कि दीपक गोदारा ने बहुत ही विस्तृत जानकारी मांगी है जो फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन वह किसी भी दिन कार्यालय आकर दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। वहां अधिकारियों ने सूचना उपलब्ध कराने का भी संकल्प जताया। दीपक जब भी कार्यालय जाते बहाने बना कर उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती।

दीपक ने जब ज्यादा दबाव बनाया और निगमायुक्त से शिकायत की तो पदमभूषण ने अधीक्षक अभियंता ओमबीर को पत्र लिखा। पत्र के अनुसार दीपक गोदारा बार बार इसलिए आरटीआई लगा रहा है क्योंकि उसे निगम से निकाल दिया गया था। इसके लिए वह उन्हें यानी पदमभूषण को दोषी मानता है और बदले की भावना से आरटीआई व सीएम विंडो पर शिकायत कर रहा है। ऐसे में दीपक गोदारा को आरटीआई और सीएम विंडो पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए।

बताते चलें कि एसई ओमबीर ने भी उसी दुकान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है जिससे पदमभूषण ने। यानी यदि जांच में पदमभूषण की डिग्री फर्जी घोषित हुई तो ओमबीर भी फंसेंगे। ऐसे में एसई ओमबीर ने भी तुरंत ही दीपक को आरटीआई और सीएम विंडो से ब्लैक लिस्ट करने की संस्तुति निगमायुक्त जीतेंद्र दहिया से कर दी। लूट में हिस्सेदार 'क़ाबिल और शासन के वफादार' व संस्तुति करने के लिए तैयार बैठे निगमायुक्त ने फरवरी 2023 में दीपक को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि दीपक को इसकी जानकारी पत्र के जरिए तीन अगस्त 2023 को दी गई।

सारे अधिकारी जानते हैं कि सीएम विंडो केवल सरकार का झुनझुना है ऐसे में सरकार विरोधी शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, कारण यह बताना होता है कि शिकायतकर्ता की मंशा और नीयत अच्छी नहीं है। इसके विपरीत आरटीआई एक्ट में जानकारी मांगने वाले को ब्लैकलिस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। सूचना यदि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी है तो देने से इनकार किया जा सकता है, अन्यथा सार्वजनिक हित के किसी भी मामले की सूचना देनी ही होगी।

करोड़ों रुपये घोटाले के लिए बदनाम नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी या तो खुद को आरटीआई एक्ट से ऊपर मानते हैं या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। दीपक गोदारा इस आदेश के खिलाफ राज्य सूचना आयोग और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं।

एडीसी तो जवाब मांगकर हारीं

निगम के भ्रष्ट अधिकारी लूट में हिस्सेदार सत्ताधारियों के संरक्षण में इतने बेखौफ हैं कि अतिरिक्त जिला उपायुक्त को जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। एडीसी की टिप्पणी के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। दीपक गोदारा की विज्ञापन घोटाले की सीएम विंडो पर की गई एक अन्य शिकायत की रिपोर्ट जिला उपायुक्त से मांगी गई थी। डीसी ने यह जांच एडीसी अपराजिता को सौंपी। अपराजिता ने 9 मई 2022 में नगर निगम के अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा लेकिन किसी ने हाजिर तो क्या होना था, जवाब देने तक की जरूरत नहीं समझी। जाहिर है उन्हें लूट कमाई में हिस्सेदार अपने बड़े-बड़े आक़ाओं पर पूरा भरोसा है। एडीसी ने 16 जून, 23 जून और फिर 13 जुलाई 2022 को नोटिस भेजे लेकिन न तो निगम से कोई अधिकारी उनके समक्ष उपस्थित हुआ और न ही उन्हें कोई सूचना भिजवाई गई। नाराज एडीसी ने सीएम विंडो पर अधिकारियों द्वारा जवाब नहीं दिए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट भेज दी। एक साल से अधिक बीत चुका है लेकिन उनकी रिपोर्ट भी सीएम विंडो की शिकायतों की तरह ठंडे बस्ते में चली गई। लगता है जहां रिपोर्ट भेजी गई है वो खुद भी उसी हमाम में नंगे हैं।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

टाउन पार्क में विश्व हिंदू परिषद का हनुमान चालीसा पाठ, ऑफिसर्स कॉलोनी में बन रहा अवैध मंदिर

अजातशत्रु

फरीदाबाद में सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में विश्व हिंदू परिषद ने हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। यह पाठ पक्षी घर के पास पहले से ही अवैध रूप से बने एक हनुमान मंदिर के सामने किया जा रहा है।

मंगलवार 8 अगस्त 2023 को जब यह संवाददाता शाम को टाउन पार्क में सैर के लिए गया तो देखा कि पक्षी घर के पास स्थित हनुमान मंदिर के सामने गलीचे और कुर्सियां बिछा कर 15-20 लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यहां लगाए गए बैनर से पता चला कि विश्व हिंदू परिषद यहां हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगी।

इस आयोजन में शामिल लोगों से पता चला कि सेक्टर 28 के मंदिर वाले लोग ही यहां भी ये आयोजन कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि सेक्टर 28 मंदिर वालों को इतनी दूर आकर ये आयोजन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? आयोजकों ने पूछने पर बताया कि इस प्रोग्राम के लिए न तो उन्होंने किसी से इजाज़त ली है और न ही उन्हें इसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत है।

सवाल ये है कि क्या हूडा अधिकारी और ज़िला प्रशासन ऐसे आयोजन अन्य धर्मों को भी यहां नियमित करने देंगे? क्या यहां हर जुम्मे को नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी जाएगी? गुरुग्रंथ साहिब का पाठ होने दिया जाएगा? बाइबल के गीत गाने दिए जाएंगे? क्या प्रशासन ने मेवात में हुई घटनाओं से भी कोई सबक नहीं सीखा है?

हालांकि दो मंदिर टाउन पार्क में पहले ही

टाउन पार्क में पक्षी घर के पास बना मंदिर

15ए ऑफिसर्स कालोनी में बनाया जा रहा मन्दिर

अवैध रूप से बने हुए हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुचित हैं और प्रशासनिक दृष्टि से ग़ैरक़ानूनी हैं लेकिन उस पर इस तरह के आयोजनों की इजाज़त देकर क्या प्रशासन खुद सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की तरफ नहीं बढ़ रहा है?

दूसरी तरफ सेक्टर 15 ए स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में भी सरकारी ज़मीन घेर कर अवैध रूप से एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण वाली जगह कॉलोनी के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी का मेंटिनेंस कार्यालय बनाने के लिए रखी गई थी। अगर वहां मंदिर बन गया तो फिर कायार्लय कहां बनेगा? और जब सरकारी ज़मीन घेर कर मंदिर बनाया जा सकता है तो गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद क्यों नहीं? विदित हो कि इसी कॉलोनी में सिटी मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ), पुलिस के डीसीपी, एसडीएम व जजों सहित अन्य अधिकारियों के भी निवास स्थान हैं लेकिन किसी भी अधिकारी को अपनी नाक के नीचे हो रहा यह अवैध निर्माण दिखाई नहीं दे रहा या शायद वो देखना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे ही अधिकारीगण मुस्लिमों के मामले में रातों रात लोगों के उनकी ही ज़मीन पर बने घरों को तोड़ने में ज़रा भी देर व संकोच नहीं करते। मेवात इसका ज्वलंत उदाहरण है।

नफ़रत की राजनीति करने वाली पार्टियों के संगठनों द्वारा ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले कार्यक्रम करना तो समझ में आता है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की इस पर चुप्पी या गुपचुप सहयोग से क्या समझा जाए?